

## विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

**संख्या: वि०स०—लैज—गवर्नर्मैट बिल/1-59/2012**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 48) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 48

### हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाए धारा 2 से 6 तक अक्टूबर, 1999 के पांचवे दिवस से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. **धारा 4 का संशोधन।**—हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 में “माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा” शब्दों से पूर्व “परिवहन या वहन के दौरान,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और तत्पश्चात् अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण।—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जब परिवहन या वहन के दौरान माल के किसी भी प्रभारी व्यक्ति द्वारा कोई कर संदत किया जाता है, तो कर का ऐसा संदाय यांत्रिक यान या छकड़े जिसमें या जिस पर माल का परिवहन या वहन किया गया है, के प्रभारी व्यक्ति द्वारा या की ओर से किया गया समझा जाएगा।”।

**3. धारा 4-क का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) तथा (2) में “माल के प्रभारी व्यक्ति” शब्दों से पूर्व “परिवहन या वहन के दौरान,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

**4. धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

- (क) उपधारा -(2) में “चालक या, यथास्थिति, माल, यांत्रिक यान या छकड़े का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति” शब्दों और चिन्हों से पूर्व “परिवहन या वहन के दौरान” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।
- (ख) उपधारा (3) में, ‘माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति’ शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।
- (ग) उपधारा (4) में, ‘माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति’ शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।
- (घ) उपधारा (5) में, ‘माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति’ शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

**5. धारा 9 का प्रतिस्थापन.**—“मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“9. संदाय से इन्कार या अपवंचन की दशा में कर की वसूली.—(1) यदि, यथास्थिति, जिले में अधिकारिता रखने वाले कराधायक प्राधिकारी या चैक—पोस्ट अथवा बैरियर के प्रभारी निरीक्षक का समाधान हो जाता है कि यांत्रिक यान या छकड़े के प्रभारी किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन किया है या ऐसे व्यक्ति ने मांगने पर कर का संदाय नहीं किया है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् ऐसे माल को वहन करने वाले यांत्रिक यान या छकड़े को ऐसी अवधि के लिए जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा और उसे केवल अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कर का संदाय करने पर या कर की राशि को प्रतिभूत करने हेतु उसके समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देकर या प्रतिभूति सहित या प्रतिभूत रहित विहित प्ररूप में बन्धपत्र निष्पादित करने पर, जाने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे माल के निरुद्ध किए जाने के चौबीस घण्टे के भीतर देय कर का संदाय करने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट बन्धपत्र पेश करने में असफल रहता है, तो कराधायक प्राधिकारी या निरीक्षक विहित रीति में माल का विक्रय कारित करवा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरुद्ध रखे गए यांत्रिक यान या छकड़े को इस अधिनियम के अधीन केवल संदेय कर के संदाय के पश्चात् ही छोड़ा जाएगा ।” ।

**6. धारा 15 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि अनुसूची को संशोधित करने की शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट किसी भी माल की बाबत छूट देने की शक्ति नहीं होगी ।” ।

**7. विधिमान्यकरण और छूट.**—(1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिकी या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य में सड़क द्वारा वहन किए गए, कतिपय माल पर किसी कर का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “उपर्युक्त कर” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 5 अक्टूबर, 1999 को या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी समय हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का 16) (जिसे इसमें इसके

पश्चात् इस धारा में “ उक्त अधिनियम” कहा गया है ) के उपबन्धों के अधीन किया गया या तात्पर्यित कोई निर्धारण उद्ग्रहण, या संग्रहण या की गई कोई कार्रवाई या बात, उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो ऐसा निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण अथवा कार्रवाई या बात इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई हो और तदनुसार—

- (i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित, उद्गृहीत या संगृहीत अथवा निर्धारित, उद्गृहित या संगृहित करने को तात्पर्यित उपर्युक्त कर, विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से निर्धारित, उद्गृहीत या संगृहीत किया गया समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा;
- (ii) ऐसे किसी उपर्युक्त कर के जो संगृहीत किया गया है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नहीं होगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिदाय को निर्देशित करने वाली किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा;
- (iii) उन सभी राशियों की वसूली, यदि कोई हों, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी, जो तद्धीन ऐसे उपर्युक्त कर के रूप में संगृहीत की गई होती यदि यह अधिनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता; और
- (iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या किया गया आदेश, जारी की गई अधिसूचना या दिया गया कोई निर्देश, प्रदान की गई छूट या अधिरोपित की गई शास्ति है) सदैव इस अधिनियम के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि—

- (क) उपधारा (1) की किसी बात का किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा—
  - (i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त कर के निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण को प्रश्नगत करने; या
  - (ii) उस द्वारा इस अधिनियम के अधीन उससे देय राशि से अधिक संदत्त किए गए उपर्युक्त कर के प्रतिदाय के दावे से; और
- (ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या त्रुटि, अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगी, जो इस प्रकार दण्डनीय न होती, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।”।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का अधिकतर भाग वायुमार्ग या रेल परिवहन से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण सड़कें, पुल और सहबद्ध अवसंरचना इस पहाड़ी राज्य की जीवन रेखा समझी जाती है । राज्य सरकार को प्रतिवर्ष सड़कों, पुलों और सहबद्ध अवसंरचना के निर्माण, विकास, मुरम्मत, रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए अपने संसाधनों का काफी ज्यादा भाग व्यय करना पड़ता है, जिसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन व्यापारिक सुविधाओं का वित्तपोषण करने हेतु राज्य के विद्यमान संसाधन, प्रतिवर्ष उन पर उपगत किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय की तुलना में काफी अपर्याप्त है, अतः व्यापारिक और परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तथा विधान मण्डल के विधायी आशय के अनुसार अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण को सुरक्षित करने हेतु कर के उद्ग्रहण और संदाय के ढंग, पड़ताल चौकी या नाका, अभिवहन में माल के निरीक्षण, संदाय करने से इंकार करने या अपवर्चन की दशा में कर की वसूली विनियमित

करने वाले उपबंधों को भूतलक्षी रूप से स्पष्ट करने हेतु तथा इन उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से विधिमान्यता देना आवश्यक समझा गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)  
मुख्य मंत्री।

शिमला:

तारीख :.....2012.

### वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां संरक्षित की जानी प्राक्कलित हैं। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने के पश्चात् विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा प्रवृत्त किए जाने हैं, और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

### भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफरिशें

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरास्थापित करने और उस पर विचार की सिफारिश करती है।

### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**Bill No. 48 of 2012**

## THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A  
BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Amendment Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 6 shall be deemed to have come into force on 5<sup>th</sup> day of October, 1999.

**2. Amendment of section 4.**—In section 4 of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for the words and signs “person-in-charge of the goods, as the case may be” the words and signs “person-in-charge of the goods during transport or carriage” shall be substituted and thereafter at the end, the following Explanation shall be inserted, namely:-

**“Explanation.**—For the purpose of this Act, when any tax is paid by any person-in-charge of the goods during transport or carriage, such payment of tax shall be deemed to have been made by and on behalf of the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are transported or carried.”.

**3. Amendment of section 4-A.**—In section 4-A of the principal Act, in sub-sections (1) and (2), for the words “ person-in-charge of the goods”, as the case may be “wherever these occur, the words “person-in-charge of the goods during transport or carriage” shall be substituted.

**4. Amendment of section 5.**—In section 5 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2), after the words and signs “or any other person-in-charge of the goods,”, the words and sign “during transport or carriage,” shall be inserted.;
- (b) in sub-section (3), for the words and the signs “ person-in-charge of the goods, mechanical vehicle, or cart”, the words, sign, brackets and figure “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.;
- (c) in sub-section (4), for the words and signs “person-in-charge of the goods or mechanical vehicle or cart”, the words, sign, brackets and figures “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.; and
- (d) in sub-section (5), for the words and signs “person-in-charge of the goods, mechanical vehicle or cart”, the words, sign, brackets and figure “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.

**5. Substitution of section 9.**—For section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

**“9. Recovery of tax in case of refund to pay or evasion.**—(1) If the taxing authority having jurisdiction in the district or Inspector-in-charge of the check-post or barrier, as

the case may be, is satisfied that any person-in-charge of the mechanical vehicle or cart has evaded payment of tax due under this Act, or such person has not made the payment of tax on demand, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person; order detention of the mechanical vehicle or cart carrying such goods for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to proceed, only on the person specified in section 4 of the Act, making payment of the tax or furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of tax, in the prescribed form.

(2) In case the person specified in sub-section (1) fails to pay the tax due or, furnish a bond referred to in sub-section (1) within 24 hours of the detention of such goods, the taxing authority or the Inspector-in-charge may cause the goods to be sold in prescribed manner.

(3) The mechanical vehicle or cart detained under sub-section (1) shall be released only after payment of the tax payable under this Act.”.

**6. Amendment of section 15.**—In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), after the proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the power to amend the Schedule shall not include power to grant exemption to any person in respect of any of the goods specified in Schedule-I.”.

**7. Validation and exemption.**—(1) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, any assessment, levy or collection of any tax, on certain goods carried by road within the State (hereinafter in this section referred to as “aforesaid tax”), made or purporting to have been made or any action taken or anything done under the provisions of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) (hereinafter in this section referred to as “the said Act”), at any time, on or after the 5<sup>th</sup> day of October, 1999 but before the commencement of this Act, shall be deemed to be as valid and effective as if such assessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under the provisions of this Act and accordingly-

- (i) the aforesaid tax assessed, levied or collected or purporting to have been assessed, levied or collected under the provisions of the said Act before the commencement of this Act shall be deemed to be and always deemed to have been validly assessed, levied or collected in accordance with law;
- (ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of, and no enforcement shall be made by any court or authority, or any decree or order directing the refund of any such aforesaid tax which has been collected;
- (iii) recoveries, if any, shall be made in accordance with the provisions of the said Act of all amounts which would have been collected thereunder as such aforesaid tax as if this Act had been in force at all material times; and
- (iv) anything done or any action taken(including any rule or order made, notification issued or direction given or exemption granted or penalty imposed) under the said Act before the commencement of this Act shall be deemed always to have been validly done, taken or made in accordance with this Act.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that –

- (a) nothing in sub-section(1) shall be construed as preventing any person
  - (i) from questioning, in accordance with the provisions of this Act, the assessment, levy or collection of the aforesaid tax; or
  - (ii) from claiming refund of the aforesaid tax paid by him in excess of the amount due from him under this Act; and
- (b) no act or omission on the part of any person, before the commencement of this Act, shall be punishable as an offence which would not have been so punishable as if this Act had not come into force.

---

### **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

It is well known that most part of the State of Himachal Pradesh is not covered by air or rail transport due to which roads, bridges and other allied infrastructure constitute lifeline in this hilly State. Every year the State Government has to devote a sizable component of its resources for the construction, development, repair, upkeep and maintenance of roads, bridges and allied infrastructure without which any development is unthinkable. In order to finance these trading facilities, the existing resources of the State being highly incommensurate with the expenditure required to be assessed thereon every year, it is considered essential to clarify and improve the provisions regulating the levy and mode of payment of tax, establishment of check posts or barrier, inspection of goods in transit, recovery of tax in case of refusal to pay or evasion retrospectively to safeguard and protect the levy under the Act as per the legislative intention of the Legislature and also to validate these provision, from the commencement of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999. As such, it has been decided to amend the provisions of the Act ibid suitably. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(PREM KUMAR DHUMAL)**

*Chief Minister.*

**Shimla:**

**The.....2012.**

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions of the Bill when enacted are estimated to protect the revenue receipts of about Rs. 200 cr. per annum. The provisions of the Bill after being enacted are to be enforced by the existing Government machinery, and no additional expenditure will be involved.

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

**-NIL-**

## **RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2012, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

---